राज्यह सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2761

10 अगस्त, 2016 को उत्तोर के लिए

विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र के लिए आबद्ध लौह अयस्क और कोयला खानें

2761. **श्री वि. विजयसाई रेड्डी:**

क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र (वी एस पी) ने अपने लाभकारी संचालन के लिए 'आबद्ध लौह अयस्क और कोयला खानों' के लिए आवेदन किया है अथवा मांग की है;

(ख) आबद्ध लौह अयस्क और आबद्ध कोयला खानों के ऐसे आवेदनों की क्या स्थिति है;

(ग) विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र के लिए आबद्ध लौह अयस्क खानें आबंटित न किए जाने के क्या कारण हैं;

(घ) विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र के पास उपलब्ध संयंत्र, मशीनों और अत्यधिक भूमि का पूर्ण उपयोग करने के लिए क्या अन्य कदम अपेक्षित हैं; और

(ङ) इसका वर्तमान उत्पादन और वर्ष 2015-16 में कुल इस्पात उत्पादन कितना-कितना रहा है?

उत्तर

इस्पात राज्य मंत्री **(श्री विष्णु देव साय)**

(क) से (ग): माइन्सत एण्ड मिनरल्स (डेवलेपमेंट एण्डो रेग्यू लेशन) एक्ट, 1957 (एमएमडीआर एक्टम) में संशोधन से पूर्व विशाखापट्टनम इस्पामत संयंत्र (बीएसपी) ने विभिन्नम राज्यो में लौह अयस्कश खानों के आवंटन के लिए 29 आवेदन पत्र प्रस्तुतत किये थे , जिनमें से राजस्थाभन सरकार द्वारा राजस्थाेन के भीलवाड़ा जिले के बनेरा तहसील में एक लौह अयस्कु ब्लॉयक के लिए आशय पत्र (एलओआई) प्रदान किया गया है। माइन्सक एण्डी मिनरल्सय (डेवलेपमेंट एण्डआ रेग्यूएलेशन) अमेंडमेन्ट, एक्ट 2015 के लागू होने के पश्चाैत शेष आवेदन पत्र अयोग्यर हो गये है।

वर्ष 2015 के संशोधन अधिनियम के पश्चाहत दिये गये आवेदन पत्र माइन्सर एण्डओ मिनरल्स् (डेवलपमेंट एण्ड रेग्यूलेशन) एक्ट, 1957 जोकि माइन्सआ एण्डर मिनरल्सम (डेवलेपमेंट एण्डी रेग्यूलेशन) अमेंडमेन्टड़ एक्टध 2015 द्वारा यथासंशोधित है , से विनियमित होते है , जिसमें राज्य सरकारों को धारा 10 ए के तहत् नीलामी की विधि के जरिए अथवा अधिनियम की धारा 17 ए (2 ए) के तहत् आरक्षण रूट के जरिए खनन पट्टे प्रदान करने की शक्तियां दी गई है। इसलिए , नये खनन पट्टो के आवेदन पत्र संशोधन अधिनियम में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार विनियमित होते हैं।

(घ): आरआईएनएल-वीएसपी ने अपनी तरल इस्पापत क्षमता का 3.0 मिलियन टन प्रति वर्ष (एमटीपीए) से 6.3 एमटीपीए तक का क्षमता विस्तासर पूरा कर लिया है। आरआईएनएल के पास उपलब्धअ संसाधनो के लिए नियोजित आधुनिकीकरण और संयंत्र का क्षमता विस्ता र अपेक्षित है।

(ड.): वर्ष 2016-17 की प्रथम तिमाही में विक्रेय इस्पाित का उत्पा दन 0.85 मिलियन टन था। वर्ष 2015-16 में विक्रेय इस्पा0त का उत्पा दन 3.51 मिलियन टन था।

***